तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विष्णुअवतार शर्मा बनाम राजेन्द्रसिंह शेखावत 156/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.08.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 24.06.14 के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या अपील/एलआर/4817/2014/जयपुर दायर होने पर उसके आदेश दिनांक 16.04.18 द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 24.06.2014 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब इस प्रार्थना पत्र अवमानना को चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अवमानना सारहीन हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	